



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 67) पटना, सोमवार, 19 जनवरी 2026

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना
26 दिसम्बर 2025

सं0 वि.प.स्था.- 186/2023(नी.वि.)-3819(2)/वि.प.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत मूल कोटि की वरीयता के आधार पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय के श्रीमती देवन्ती देवी, प्रशाखा पदाधिकारी को अवर सचिव का, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-

भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर प्रदत्त प्रभार आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर की राशि की भी वसूली कर ली जाएगी।

यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 एवं ज्ञापक- 636, दिनांक- 10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्वधीन है।

उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अवर सचिव के पद (विहित वेतनमान वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।

उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवर सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
नवीन कुमार मिश्र,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 67-571+10-डी0टी0पी0

Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>